राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा सडक पुलिया/2018–19/30430-38 दिनांक : 5/8/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
आबूरोड।

विषय : संपर्क सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : इस विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 12015–29 दिनांक 08.03.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के कम में निम्नलिखित संपर्क सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम सं. 5 में वर्णित राशि 5.99 लाख रू. की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी –ग्राम पंचायत

(राशि लाख रू. मे)

क. स.	कार्य का नाम व स्थान	पं स.	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
			क्र/दि	राशि	
1	2	3	4	5	6
1	पीपलाकुना श्मशान घाट के पास रपट निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत तलेटी	आबू रोड	1227 7.6.2019	5.99	4.00

उपरोक्त कार्यो की कुल राशि 5.99 लाख के विरूद्व विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–52/ 2018–19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि रू. 200.00 लाख में से 4.00 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आबूरोड को देय होगी। कार्य का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे।

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
5. **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।**
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये एवं स्वीकृति कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
7. परियोजना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र कमांक 20728–80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यो की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नही कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे। ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेंगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।

क्र.पृ.उ.

8. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

भवदीय

(विकास सीतारामजी भाले) IAS
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा सडक पुलिया/2018-19/30430-38 दिनांक : 5/8/19
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ठ सहायक, मां. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सिरोही ।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या-52/2018-19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि रू. 200.00 लाख में से 4.00 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आबूरोड को को हस्तान्तरित करें।
5. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही ।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721
Website www.tad.rajasthan.gov.in ई-मेल : comm.tad @gmail.com